राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांकः–प.15(88)वित्त/नियम/2017 जयपुर, दिनांकः– 10 NOV 2026

स्पष्टीकरण

विषयः– कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं परिवीक्षाधीन अवधि के सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र को एमएसीपी स्वीकृति हेतु कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के स्थान पर मान्य किये जाने के संबंध में।

इस विभाग के समसंख्यक स्पष्टीकरण दिनांक 05.05.2026 के बिन्दु संख्या 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

3. प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप नियुक्त कार्मिक के प्रशिक्षण एवं परिवीक्षाधीन अवधि के सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र (Certificate of Satisfactory Service) एवं कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(51)का./क–1/गो.प्र./2022 पार्ट–I/08237 दिनांक 22.05.2024 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार प्रशिक्षण अवधि में सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी किया जायेगा, प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने तक कार्मिक जिस स्थान पर 3 माह या अधिक अवधि तक पदस्थापित रहा है, वहां के प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer) यथा जिला कलक्टर/विभागाध्यक्ष आदि द्वारा सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र में कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन की तरह ही (उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषप्रद/असंतोषप्रद) ग्रेडिंग एवं राजसेवक का नाम, पदनाम, जन्म दिनांक एवं सेवा का नाम अंकित किया जायेगा।

प्रशिक्षण/परिवीक्षाधीन अवधि के उक्त सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र की प्रति संस्थान/कलक्टर/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक विभाग/कार्मिक विभाग को गोपनीय अभिलेख (एसीआर डोजियर) में संधारण हेतु भिजवाये जाने का भी प्रावधान है।

कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 22.05.2024 के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि Modified Assured Career Progression (एमएसीपी) स्वीकृति हेतु वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के रूप में उक्तानुसार प्रशिक्षण अवधि एवं प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात परिवीक्षाधीन अवधि हेतु जारी सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(शिवांगी स्वर्णकार)
विशिष्ट शासन सचिव,
वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर
10. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।



(हरीश कुमार लालवानी)
संयुक्त शासन सचिव–।

(RCS(RP)2017–07/2026)